<u>न्यायालयः सिविल न्यायाधीश दूदू, जिला जयपुर, राजस्थान</u>

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. महेश कुमार कुमावत (**आर.जे.एस)
दीवानी विविध प्रकरण संख्या : 22 / 2026
एनसीवी नंबर : 21 / 2026
सीएनआर नंबर : RJJD260000442026

1. रामू पुत्र मोतीलाल, निवासी सुर्री तहसील दूदू, जिला जयपुर, राजस्थान।

—प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. किशन पुत्र नाथू,
2. गोरधन पुत्र किशन,
3. श्योजी पुत्र गोरधन,
4. श्रवण पुत्र किशन,
5. जयदेव पुत्र किशन,
6. मेगा पुत्री मोती,
7. लक्ष्ण पुत्र मोती,
8. पप्पू पुत्र मोती, समस्त निवासीगण सुर्री, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थित :—

1. अधिवक्ता श्री मंजूर अली प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री नानूराम धाभाई अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

<u>आदेश</u> **दिनांकः 15.04.2026**

1. इस आदेश द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिपक्षीगण दिनांकित 7.2.2026 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. बहस प्रार्थना—पत्र सुनी गयी। उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। प्रार्थी को अपने पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित तीन बिन्दु (1) प्रथमदृष्टया मामला, (2) सुविधा का संतुलन तथा (3) अपूरणीय क्षति, साबित करने होंगे।

(1) प्रथम दृष्टया मामला

इस बिंदु को साबित करने का भार प्रार्थी पर है। इसके संबंध में प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 स्वर्गीय मोती बागरिया पुत्र लालू के जायंदा पुत्र है तथा वाके ग्राम सुर्री तहील दूदू, जिला जयपुर में अपने पिता की पट्टे शुदा भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 के पिताजी स्व मोती बागरिया का पट्टेशुदा भूखण्ड है जिसके पट्टा संख्या 412 मिसल संख्या 98–99 दायर दिनांक 12.8.1998 जिसकी संकल्प संख्या 02 है जो दिनांक 11.3.1999 को ग्राम पंचायत गहलोता पं.स. दूदू जिला जयपुर से जारी हो रखा है। इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड के पूर्णतः स्वामी है एवं मौके पर भौतिक रूप से काबिज है तथा उक्त भूखण्ड के पूर्व दिशा में कल्याण पुत्र श्योराम का बाडा, पश्चिम दिशा में पींगून जाने का रास्ता, उत्तर दिशा में पींगून जाने का रास्ता, दक्षिण शिा में किशन पुत्र नाथू गुर्जर का बाडा स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 ने अपने उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड पर अपने पिताजी के समय से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 उक्त भूखण्ड के एक मात्र मालिक व स्वामी है। उक्त भूखण्ड से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 एवं किसी भी अन्य व्यक्ति का दूर–दूर तक कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है। उपरोक्त भूखण्ड के प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 एकमात्र मालिक व स्वामी है। दिनांक 2.2.2026 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 अपने उक्त भूखण्ड में अपने गृह कार्यों में व्यस्त थे तो मौके पर पूर्व से ही मौजूद अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 जेसीबी लेकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 के भूखण्ड की दक्षिण दिशा की ओर स्थित बाड को खिसकाने का प्रयास करने लगे तथा गोबर की रोडी व छडिया डालकर कब्जा करने का प्रयास किया तब प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 ने उन्ळें समझाने का प्रयास किया परंतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने उन्हें उक्त भूखण्ड से बेदखल करने की धमकी दी। अंत में स्वयं के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला बनना बताते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पेश कर अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी ने जो नाप लिखी है वह बढा चढाकर लिखी है एवं प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 द्वारा उक्त भूखण्ड का उपयोग काफी समय से नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी के बाडे के उत्तर दिशा में आम रास्ता है उसके पश्चात रामरतन जाट की खातेदारी भूमि थी, रामरतन जाट ने अपनी खातेदारी भूमि के रास्ते की तरफ बढते हुए खाम डोल लगा ली जिससे जब पींगून जाने वाले रास्ते पर पक्की सडक का निर्माण किया गया तब उक्त रास्ते को प्रार्थी के बाडे की तरफ बढाते हुए निर्माण किया गया जिससे प्रार्थी के बाडे की काफी सीमा उक्त रास्ते में चली गयी जिससे प्रार्थी की सीमा मौके पर पट्टे अनुसारी नहीं है। उक्त भूखण्ड का उपयोग प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 द्वारा भौतिक रूप से नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी स्वयं ग्राम सुर्री में अन्य स्थान पर मकान बनाकर निवास कर रहा है। अंत में प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी ने विवादित भूखण्ड प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 के पिता का पट्टेशुदा होना बताते हुए उक्त भूखण्ड का स्वयं द्वारा व अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 द्वारा उपयोग उपभोग करना बताया है और अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा उसे बेदखल करने पर आमादा होने का कथन किया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में स्वयं को उसके पट्टेशुदा भूखण्ड पर भी काबिज होना बताया है व अप्रार्थी द्वारा बताये पट्टेशुदा भूखण्ड का कुछ भाग सडक में जाना बताया है और अब प्रार्थी के भूखण्ड का कुछ भाग सडक में जाने के बाद प्रार्थी द्वारा उससे लगवा अप्रार्थी संख्या 1 के पट्टेशुदा भूमि हडपने पर आमादा होने का कथन किया है। इस संबंध में पत्रावली पर पेश किये गये पक्षकारों के मध्य आपराधिक मुकदमे के दस्तावेजात की प्रति का अवलोकन किया जावे तो उसमें संलग्न नक्शे मौके में प्रार्थी व अप्रार्थी का भूखण्ड लगवा होना दर्शित होता है तथा प्रार्थी के भूखण्ड के आरे से सुर्री से पींगून से जाने वाला आम रास्ता होना दर्शित होता है तथा उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा लिये गये धारा

180 के बयान चोथमल, नारू व हरकरण के अनुसार वर्तमान में मौके पर जमीन खाली पडी हुई होना व उसमें किसी द्वारा कब्जा नहीं किया जाना अंकित किया गया है और प्रार्थी के पिता के समय से जो बाडा था वह आज भी उसी प्रकार से होना बताया गया है। उक्त पत्रावली पर ग्राम पंचायत गहलोता के पत्र की प्रति भी संलग्न है जिसमें मौके पर विवादित भूखण्ड को खाली होना बताया गया है और प्रार्थी द्वारा दर्ज किये प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कोई कब्जा करना नहीं पाया गया है व इसी आधार पर प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन पेश किया जाना प्रकट होता है। हालांकि प्रकरण में प्रार्थी ने विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी द्वारा कब्जा करने पर आमादा होना बताया है और अप्रार्थी संख्या 1 ने मौके पर स्थित प्रार्थी के भूखण्ड का कुछ भाग सडक में चले जाने के कारण उसकी भूमि कम होना बताया है व इसके उपरांत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के लगवा भूखण्ड की भूमि पर जबरदस्ती हक जताना बताया है। हालांकि वास्तव में प्रार्थी के पट्टेशुदा भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कब्जा किया गया है या नहीं ? प्रार्थी के भूखण्ड का कुछ भाग सडक में जाने से उतने भाग की भूमि बाबत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पट्टेशदा भूखण्ड में हक जताया जा रहा है या नहीं यह भी साक्ष्य का विषय है जो कि उभय पक्षों की साक्ष्य के उपरांत ही तय किया जा सकता है परंतु इस स्तर पर दोनों ही पक्षों के भूखण्ड पट्टेशुदा होने का तथ्य पत्रावली पर आया है परंतु इस स्तर पर प्रार्थी ने स्वयं के पट्टेशुदा भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कब्जा कर बेदखल करने का प्रयास करना बताया है और प्रार्थी का विवादित भूखण्ड पट्टेशुदा होना अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भी स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी पट्टेशुदा भूखण्ड की हद तक प्रथमदृष्टया मामला प्रमाणित करने सफल रहा है। अतः प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

(2) सुविधा का संतुलन एवं (3) अपूरणीय क्षति –

तथ्यों की पुनरावृत्ति रोकने व सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों बिन्दुओं का विनिश्चय एक साथ किया जा रहा है चूंकि प्रार्थी प्रथमदृष्ट्या मामला स्वयं के पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रहा है। ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थी को अधिक अपूरणीय क्षति व

असुविधा होने की संभावना रहेगी और वाद बाहुल्यता की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाते हैं।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रथमदृष्ट्या मामला सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिंदु प्रार्थी प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थी 1. बद्री दत्तक पुत्र हनुमान, उम्र 58 साल, निवासी गागरडू, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राजस्थान का प्रार्थना पत्र दिनांकित 18.8.2018 बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा **विरूद्ध** अप्रार्थी 1. रामस्वरूप पुत्र भैरूलाल, उम्र 54 साल, 2. ग्यारसीलाल दत्तक पुत्र मोहन, उम्र 50 साल, 3. धापू पत्नी ग्यारसीलाल, उम्र 48 साल, समस्त निवासीगण गागरडू, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राजस्थान स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 स्वयं के पट्टेशुदा भूखण्ड के अतिरिक्त प्रार्थी के पट्टेशुदा भूखण्ड पर कोई तोड–फोड, अतिक्रमण नहीं करे।

(डॉ. महेश कुमार कुमावत)
सिविल न्यायाधीश
दूदू जिला जयपुर।

आदेश आज दिनांक 15.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. महेश कुमार कुमावत)
सिविल न्यायाधीश
दूदू जिला जयपुर।